# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 80/2017 दायर दिनाँक 07.04.2017

**वादी**

1. हीराराम पुत्र मेवाराम (फौत)
1/1 प्रेमाराम पुत्र स्व0 हीराराम
1/2 गीता पुत्री स्व0 हीराराम
1/3 धापूदेवी पत्नि स्व0 हीराराम समस्त जाति जाट निवासी जानकीपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

**प्रतिवादीगण**

1. मोहम्मद सदीक पुत्र दीन मोहम्मद
2. जाकिर पुत्र दीन मोहम्मद
3. शकुरन पत्नि दीन मोहम्मद
4. रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान
5. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान
6. कासम पुत्र अब्दुल रहमान
7. असलम पुत्र अब्दुल रहमान
8. फकीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान
9. करीम पुत्र बैली समस्त जाति मुसलमान निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. तहसीलदार डीडवाना।

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.**

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 14.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादी ग्राम जानकीपुरा का स्थायी निवासी है तथा वादी द्वारा दिनांक 06.08.1985 को खेत खसरा सं0 40 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बैचाण संख्या 528/85 जमाल पुत्र हुसैन व बेली पुत्र हुसैन से खरीद किया था। जिस पर खरीद के बाद से ही वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि वादी के द्वारा खेत खसरा सं0 55 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा सरहद रायसिंहपुरा अब्दुल रहमान पुत्र बैली जरिये रजिस्टर्ड बैचाण 529/85 के खरीद किया हुआ है तथा जिस पर खरीद के पश्चात ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि जमाल पुत्र हुसैन का देहान्त हो चूका है तथा जमाल पुत्र हुसैन के दो पुत्र दीन मोहम्मद व ईस्माईल हुये जिसमें से दीन मोहम्मद का देहान्त हो चुका है। जिसके दो पुत्र मोहम्मद सदीक, जाकिर तथा पत्नि शकुरन विधिक वारीसान है तथा ईस्माईल ने अपना हक मोहम्मद सदीक जाकिर व शकुरन के पक्ष में त्याग कर दिया है व इन्ही का नाम राजस्व रेकर्ड में है। बैली पुत्र हुसैन के दो पुत्र अब्दुल रहमान व करीम हुये, अब्दुल रहमान की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारीसान रज्जाक, सलीम, कासम, असलम और फकीर मोहम्मद है। इस प्रकार अब्दुल रहमान के वारीसान व करीम का नाम राजस्व रेकर्ड में है। खेत खसरा सं0 40 जमाल पुत्र हुसैन व बैली पुत्र हुसैन से ही खरीद किया हुआ है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :—

यह कि खेत खसरा सं0 40 में मोहम्मद सदीक, जाकिर व शकुरन व बेली के वारीसान के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावें व खेत खसरा सं0 55 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में अब्दुल रहमान के वारीसान रज्जाक, सलीम, कासम, असलम व फकीर मोहम्मद के स्थान पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का सादर आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी सं0 01, 10 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

**–: आदेश :–**

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद रायसिंह पुरा के खेत खसरा सं0 40 में मोहम्मद सदीक, जाकिर व शकुरन व बेली के वारीसान के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावें व खेत खसरा सं0 55 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में अब्दुल रहमान के वारीसान रज्जाक, सलीम, कासम, असलम व फकीर मोहम्मद के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का नाम उक्त खेताय की भूमि से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **14.05.2022** को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 80/2017 दायर दिनाँक 07.04.2017

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. हीराराम पुत्र मेवाराम (फौत)<br>1/1 प्रेमाराम पुत्र स्व0 हीराराम<br>1/2 गीता पुत्री स्व0 हीराराम<br>1/3 धापूदेवी पत्नि स्व0 हीराराम समस्त जाति जाट निवासी जानकीपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। | बनाम् | 1. मोहम्मद सदीक पुत्र दीन मोहम्मद<br>2. जाकिर पुत्र दीन मोहम्मद<br>3. शकुरन पत्नि दीन मोहम्मद<br>4. रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान<br>5. सलीम पुत्र अब्दुल रहमान<br>6. कासम पुत्र अब्दुल रहमान<br>7. असलम पुत्र अब्दुल रहमान<br>8. फकीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान<br>9. करीम पुत्र बैली समस्त जाति मुसलमान निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>10. तहसीलदार डीडवाना। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.**

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद रायसिंह पुरा के खेत खसरा सं0 40 में मोहम्मद सदीक, जाकिर व शकुरन व बेली के वारीसान के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावें व खेत खसरा सं0 55 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में अब्दुल रहमान के वारीसान रज्जाक, सलीम, कासम, असलम व फकीर मोहम्मद के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी सं0 01 ता 09 का नाम उक्त खेताय की भूमि से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ .......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | –<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally Signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner